रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 1977/अग्रहायण 11, 1899

No. 235] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 1977/AGRAHAYANA 11, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 2nd December 1977

SUBJECT.—*Import of Copper Unwrought in the form of ingots, blooms, slabs, cakes, tiles, bricks, blocks, billets, cathodes, blister bars, electrolytic wire bars and ingot bars. Import Policy for April, 1977—March, 1978*

No. 109-ITC (PN)/77.—Attention is invited to Remarks (3) & (4) against S. No. 74·01/02 in Section II of the Policy Book for April, 1977—March, 1978, in terms of which requirements of Actual Users for import of electrolytic copper for manufacture of winding wires and commutators only are to be met by imports through public sector agency. Actual Users requiring copper for other end-uses are to approach M/s Hindustan Copper Limited, for their requirements.

2. On a review of the position, it has been decided to allow release of copper by MMTC for all industrial purposes to the extent of short-fall in the supply of copper by M/s Hindustan Copper Limited. All Actual Users requiring copper accordingly should register their requirements with M.M.T.C. hereafter, in terms of the provisions indicated in para 91 of Section I of the Import Trade Control Policy Book for the period April, 1977—March, 1978, alongwith a certificate from M/s Hindustan Copper Limited indicating the quantity/value of copper for which supplies cannot be made by them during the current licensing period. Supplies will be made by M.M.T.C. to these Actual Users under the policy of direct allotment of imported raw materials, in terms of the current policy for 1977-78.

3. No last date is hereby set for submission of applications to the M.M.T.C.

4 The following amendments may be made in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period 1977-78:

Page No.	Reference	Details of amendment
51.	Section II, S. No 74·01/02, Remarks(3) and (4)	These remarks may be substituted by the following — "Requirements of Actual Users for electrolytic copper for manufacture of winding wires and commutators and in respect of other actual users for copper will be met by imports through public sector agency, please see Section III of this book."
79.	Section III, S No. 16, under the heading MMTC, Column 3	The existing remark against this item may be deleted.

K. V. SESHADRI,
Chief Controller of Imports and Exports

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1977

विषय.—सिलिनयो, ब्लूम्स, स्लैब्स, केक्स, टाइल्स, इंटो, ब्लाकस, बिल्लेट्स, कैथोड्स, ब्लिस्टर बार्स, इलैक्ट्रोलिटिक वायर बार्स एव इन्गाट बार्स के कच्चे ताम्बे का आयात अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 के लिए आयात नीति ।

सं० 109-आईटीसी (पीएन)/77.—अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 के लिए नीति पुस्तक के खण्ड 2 की क्रम स० 74·01/02 के सामने टिप्पणी (3) एव (4) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार वाइन्डिग तार और काम्प्युटेटर्स के विनिर्माण के लिए ही इलैक्ट्रोलिटिक ताम्बे के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ताओ की आवश्यकताए सार्वजनिक क्षेत्र अधिकरण के माध्यम से किए गए आयातो द्वारा पूर्ण की जानी है । वे वास्तविक उपयोक्ता जिन्हे अन्य अतिम उत्पादो के लिए ताम्बे की आवश्यकता हो वे अपनी आवश्यकताओ के लिए सर्वश्री हिन्दुस्तान वायर लि० के साथ सम्पर्क स्थापित करे ।

2 स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि सभी औद्योगिक प्रयोजनो के लिए सर्वश्री हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा ताम्बे के संभरण मे जितनी कमी पड़ती है उसी सीमा तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ताम्बे के रिहाई की अनुमति दी जाए । तदनुसार, वे उभी वास्तविक उपयोक्ता जिन्हे ताम्बे की आवश्यकता है उन्हे चाहिए कि वे इसके बाद अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक के खंड 1 की कडिका 91 मे संकेतित व्यवस्थाओ के अनुसार अपनी आवश्यकताओ का खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास पजीकृत कराएं और इसके साथ सर्वश्री हिन्दुस्तान कापर लि० का एक प्रमाण-पत्र भी भेजे जिससे ताबे की उतनी मात्रा और मूल्य का संकेत किया जाए जिसे सर्वश्री हिन्दूस्तान कापर लि० चालू अवधि के दौरान संभरण नही कर सकता है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इन वास्तविक

उपयोक्ताओ को संभरण 1977–78 के लिए वर्तमान नीति के अनुसार आयातित कच्चे माल की सीधे आवंटन नीति के अन्तर्गत किया जाएगा ।

3. खनिज तथा धातु व्यापार निगम को आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए इसके द्वारा कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है ।

4. 1977–78 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन के ब्यौरे
51.	खंड 2, क्रम सं० 74.01/02; टिप्पणी (3) एवं (4) ।	इन टिप्पणियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :— "वाइन्डिंग वायर और काम्प्युटेर्स के विनिर्माण के लिए इलैक्ट्रोलिटिक ताम्बे के लिए वास्तविक उपयोक्ताओ की आवश्यकताएं और तांबे के लिए अन्य वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताएं सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण द्वारा किए गए आयातों से पूरी की जाएंगी । कृपया इस पुस्तक का खंड–3 देखें ।"
79.	खंड 3, क्रम स० 16, शीर्षक खनिज तथा धातु व्यापार निगम, के अन्तर्गत कालम 3 ।	इस मद के सामने वर्तमान टिप्पणी को हटाया जाए ।

का० वें० शेषाद्रि,
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977